

वन्यजीव ट्रैक्विलाइजेशन

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में जीनत नामक तीन वर्ष की बाघनि को पश्चिम बंगाल के बांकुरा के जंगलों से बेहोश करके पकड़ लिया गया और उसे ओडिशा के समिलीपाल बाघ अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया।

- ट्रैक्विलाइजेशन न केवल संरक्षण प्रयासों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि जीवों तथा मानव आबादी की सुरक्षा हेतु भी नरिणायक है।

वन्यजीव ट्रैक्विलाइजेशन क्या है?

- **परिचय:**
 - वन्यजीव ट्रैक्विलाइजेशन वभिन्न संरक्षण, अनुसंधान या बचाव उद्देश्यों हेतु सुरक्षित रूप से पकड़ने, नयित्तरित करने या स्थानांतरित करने हेतु जंगली जानवरों को वशिष्ट प्रशामक दवाओं का उपयोग करके बेहोश करने की प्रक्रिया है।
- **वनियमन:**
 - ट्रैक्विलाइजर का उपयोग औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत वनियमित किया जाता है।
 - भारत में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत राज्य वन विभागों द्वारा पशुओं के ट्रैक्विलाइजेशन/बेहोशी की नगिरानी की जाती है, जिसमें प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा प्रावधानित वशिष्टता का सहयोग लिया जाता है।
- **वधियों और उपकरण:**
 - डार्ट को दूर से ही चलाया जाता है, आमतौर पर डार्ट को आगे बढ़ाने के लिये संपीडित CO2 गैस का उपयोग किया जाता है।
 - उड़ान के दौरान सटीकता में सुधार करने के लिये डार्ट पर पंखों का एक गुच्छा या अन्य स्थिरिकरण सामग्री लगाई जाती है।
 - ट्रैक्विलाइजर गन और डार्ट: वन्यजीवों को बेहोश करने के लिये प्राथमिक उपकरण डार्ट गन है, जिसकी सहायता से प्रशामक औषधियों से भरी एक सरिज को लक्षित जानवर पर छोड़ा जाता है।
 - डार्ट में अक्सर एक हाइपोडर्मिक सुई और एक बारब (काँटे या दाँत जैसी संरचना) लगा होता है, ताकियह सुनिश्चित किया जा सके कि औषधि लक्षित जानवर की त्वचा के भीतर प्रभावी रूप से पहुँच जाए।
- **औषधियों के प्रकार:**
 - ओपिओइड (Opioids): M99 (एटॉर्फनि) जैसी दवाएँ, जनिका उपयोग हाथी और बाघ जैसे बड़े स्तनधारियों को स्थिर करने के लिये किया जाता है।
 - वन्यजीवों को प्रशान्त/बेहोश करने के लिये, मॉर्फिन का उपयोग कभी-कभी अन्य औषधियों के साथ संयोजन में किया जा सकता है।
- अल्फा-एड्रेनर्जिक ट्रैक्विलाइजर: ज़ाइलाज़िन (Xylazine) और केटामाइन (Ketamine) जैसी औषधियों का उपयोग आमतौर पर हरिण तथा बाघ जैसे जानवरों को प्रशान्त करने हेतु किया जाता है।
 - ज़ाइलाज़िन एक प्रशामक और मांसपेशी शथिलिक के रूप में कार्य करता है, जबकि केटामाइन असाहचर्य को प्रेरित करने तथा नश्चलता की अवधि को बढ़ाने में मदद करता है।
 - ये औषधियाँ अधिक नयित्तरित प्रशामक के रूप में कार्य करती हैं तथा इनमें प्रतविषि/एंटीडोट का उपयोग करके प्रभावों को विपरीत स्थिति में लाने की क्षमता भी होती है।
- प्रतविर्ती/रिविर्सल एजेंट: नालोक्सोन (Naloxone) जैसे वशिष्ट एंटीडोट का उपयोग ट्रैक्विलाइजेशन (बेहोशी की अवस्था) के प्रभावों को समाप्त करने हेतु किया जाता है।
- **अनुप्रयोग:**
 - संरक्षण एवं पुनर्वास: इसका उपयोग मानव-वन्यजीव संघर्ष क्षेत्रों से जानवरों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने या लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित अभयारण्यों में स्थानांतरित करने हेतु किया जाता है।
 - अनुसंधान एवं नगिरानी: स्वास्थ्य आकलन, टैगिंग और प्रवासन प्रतरीप/पैटर्न का अध्ययन करने हेतु जानवरों को पकड़ने के लिये प्रयुक्त किया जाता है।
 - बचाव कार्य/अभियान: घायल या फँसे हुए पशुओं को बचाने, पशु चिकित्सा देखभाल या पुनर्वास केंद्रों तक उनके परिवहन हेतु इसका उपयोग आवश्यक हो जाता है।

वन्यजीव संरक्षण पहल

वन्यजीव के लिये संवैधानिक प्रावधान

- **42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976:** वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण (राज्य से समवर्ती सूची में हस्तांतरित)
- **अनुच्छेद 48 A:** राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास
- **अनुच्छेद 51 A (g):** वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिये मौलिक कर्तव्य

वैधानिक ढाँचा

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002

प्रमुख संरक्षण पहलें

- **वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (IDWH):**
 - ⊕ वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई
 - ⊕ एक केंद्र प्रायोजित योजना
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031)**
- **संरक्षित क्षेत्रों में इको-पर्यटन के लिये दिशानिर्देश**
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन**
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो:** वन्यजीव संबंधी अपराधों से निपटने हेतु
- **वन्यजीव प्रभाग (MoEFCC):**
 - ⊕ जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संरक्षण हेतु नीति और कानून
 - ⊕ IDWH, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता

■ **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB):** खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार, केंद्रीकृत वन्य जीवन अपराध डेटाबैंक की स्थापना, समन्वय आदि।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण:

- ⊕ ऑपरेशन सेव कुर्मा
- ⊕ ऑपरेशन थंडरबर्ड

प्रजाति-विशिष्ट पहल

- गंगा नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेड (धेनुक) की सुरक्षा एवं संरक्षण
- गंगा नदी के गैर-संरक्षित क्षेत्र में डॉल्फिन संरक्षण
- जंगली भैंसों के लिये संरक्षण प्रजनन केंद्र (वर्ष 2020)
- हिम तेंदुए के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2009)
- गिद्धों के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2006)
- प्रोजेक्ट एलिफेंट (वर्ष 1992)
- प्रोजेक्ट टाइगर/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) (वर्ष 1973)

वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग

- ⊕ वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)
- ⊕ जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS)
- ⊕ जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)
- ⊕ विश्व विरासत सम्मेलन
- ⊕ रामसर कन्वेंशन
- ⊕ वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (TRAFFIC)
- ⊕ यूनाइटेड नेशन्स फोरम ऑन फॉरेस्ट (UNFF)
- ⊕ अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC)
- ⊕ प्रकृति संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN)
- ⊕ ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)



Drishti IAS

वन्यजीव संरक्षण के लिये भारत के प्रयास

- वन्यजीवन हेतु संवैधानिक प्रावधान:

- [42वें संशोधन अधिनियम, 1976](#) द्वारा वन तथा वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
- [अनुच्छेद 51 A \(g\)](#) में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह **करतव्य** होगा कि वह जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे।
- [अनुच्छेद 48A](#) में यह प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।
- **वधिकि ढाँचा:**
 - [वन्यजीव \(संरक्षण\) अधिनियम, 1972](#)
 - [पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986](#)
 - [जैविक विविधता अधिनियम, 2002](#)
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:**
 - [वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन \(CITES\)](#)
 - [वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन \(CMS\)](#)
 - [जैविक विविधता पर कन्वेंशन \(CBD\)](#)
 - [वन्यजीव व्यापार नगिरानी नेटवर्क \(ट्रेफिक/TRAFFIC\)](#)
 - [अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ \(IUCN\)](#)
 - [ग्लोबल टाइगर फोरम \(GTF\)](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. यदकिसी पौधे की वशिषिट जातको वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची VI में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है? (2020)

- (a) उस पौधे की खेती करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता है।
- (b) ऐसे पौधे की खेती किसी भी परस्थिति में नहीं हो सकती।
- (c) यह एक आनुवंशिकित: रूपांतरित फसली पौधा है।
- (d) ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारलित्तर के लिये हानिकारक होता है।

उत्तर: (a)